लोक सुनवाई का वृत।

श्री संजय कुमार, पताः गॉव चंडी स्थान, पो0ओ0—दरीऔर, पु0स0—आमस, जिला—गया द्वारा गया मोरहर् नदी बालू घाटः 23, ग्राम—जूरी और पननियॉ, अंचल—बॉकेबाजर, जिला—गया अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 12.08.2023 को अपराह्न 02:50 बजे अंचल कार्यालय, बाँकेबाजार, जिला—गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/BR/MIN/425688/2023, dated 02.06.2023 के आलोक में श्री अंजनि कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 12.08.2023 अपराह्न 02:50 बजे अंचल कार्यालय, बाँकेबाजार, जिला—गया में लोक—सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक—1**)

इस लोक—सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 05.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक—सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक—सुनवाई में उपस्थित जन—समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक—सुनवाई की पृष्ठ—भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया मोरहर् नदी बालू घाटः 23, ग्राम—जूरी और पननियॉ, अंचल—बॉकेबाजर, जिला—गया के लेसी को मंच पर आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी या उनके प्रतिनिधि द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम की कार्रवाई की अध्यक्षता अपर समहर्ता के द्वारा विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयी। लोक—सुनवाई में उपस्थित आम—जनों द्वारा खनन कार्य के विरोध में उठाये गये बिंदुओ का स्मरण किया गया। ततपश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः—

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री संजय कुमार, अंचल— बाँकेबाजार, जिला—गया	इनके द्वारा यह कहा गया कि बालू उठाव के कारण नदी का जल—स्तर में कमी हूई है एवं भू—जल स्तर में भी गिरावट हुआ है, जिस कारण पीने का पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः इन समस्याओं पर विचार करते हुए बालू खनन का कार्य नहीं किया जाए।
2.	श्री अशोक यादव, (मुखिया संघ अध्यक्ष) अंचल— बाँकेबाजार, जिला—गया	इनके द्वारा यह कहा गया कि बालू उठाव के कारण नदी का जल—स्तर में कमी हूई है एवं भू—जल स्तर में भी गिरावट हुआ है, जिस कारण पीने का पानी की समस्या

		उत्पन्न हो रही है एवं लोगों को खेतों में सिचाई की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः इन समस्याओं पर विचार करते हुए बालू खनन का कार्य नहीं किया जाए।
3.	श्रीमति अस्मिता कुमारी, (बालू उठाव संघर्ष समिति के सदस्य) अंचल–इमामगंज, जिला–गया	इनके द्वारा यह कहा गया कि हमारी नदी वर्षाती है फिर भी विगत तीन माह तक बालू खनन का कार्य किया गया, जिससे नदी की गहराई ज्यादा हो गयी है, जिससे नदी का स्तर पैन के स्तर से नींचे हो गया है, जिस कारण खेतों में सिचाई की समस्या उत्पन्न हो रही एवं सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्व में खनन के दौरान नहीं किया गया एवं खनन का कार्य 3 मीटर से अधिक किया गया है। अतः इन समस्याओं पर विचार करते हुए बालू खनन का कार्य की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया गया।
4.	श्री अवध किशोर प्रसाद, ग्राम–चौगाई, अंचल– बाँकेबाजार, जिला–गया	इनके द्वारा यह सूझाव दिया गया कि अगर बालू उठाव होगी तो पैन में पानी जाने की समस्या होगी। सरकार को निविदा से पूर्व ऐसे बालू घाटों का लोक–सुनवाई करनी चाहिए। बालू खनन परियोजना अगर रद्द होता है तो अवैघ खनन को बढावा मिलेगा। सरकार से अनुरोध है कि इसपर रोक लगे एवं स्थानीय लोगों को बालू का उपलब्धता निशुल्कः हो।
5.	मो० कमर खान, पूर्व जिला पार्षद, अंचल– बाँकेबाजार, जिला–गया	इनके द्वारा यह कहा गया कि पहले जिला स्तर पर बंदोबस्ति होता था। बालू खनन के कार्य से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, परन्तु इस कार्य से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है, भू–जल स्तर में भी गिरावट हुआ है, जिस कारण पीने का पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है एवं लोगों को खेतों में सिचाई की भी समस्या उत्पन्न हो रही। अतः इन समस्याओं पर विचार करते हुए बालू खनन का कार्य नहीं किया जाए।
6.	लोक सुनवाई के दौरान प्रावधानों के अनुकुल दिये गये उपस्थिति पंजी पर अपने पता के साथ हस्ताक्षर करने का उपस्थित सभी लोगों के द्वारा विरोध प्रकट किया गया एवं कहा गया कि हमलोगों के द्वारा दिये गये विरोध प्रतिवेदन के साथ संलग्न हस्ताक्षारित सूची मान्य होगी एवं उपस्थित समस्त स्थानीय निवासीयों द्वारा इस बालू	

	घाट को नहीं चालू करने की मॉग की गयी। क्योंकि उन लोगों का कहना है कि इस बालू घाट में बालू नहीं है। यहॉ बहुत ज्यादा बालू का उठाव हो गया है, जिससे कहीं कहीं नदी में गढ़ढे हो गये है। पूर्व में खनन का कार्य 3 मीटर से अधिक किया गया है, जिससे नदी का स्तर पैन के स्तर से नींचे हो गया है, जिस कारण खेतों में सिचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है। उपस्थित सभी लोगो का यह भी कहना है कि अगर बालू घाट चालू होता है, तो वे सरकार के विरूद्ध धरना प्रर्दशन पर उतर जायेगें।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालूघाट के खनन परियोजना को नहीं प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया

16.9.23
अपर समाहर्त्ता
गया

बालू–पानी, पर्यावरण बचाओ संघर्ष मोर्चा

डुमरिया–इमामगंज–बाँकेबाजार (गया)

सेवा में,

अपर समाहर्ता राजस्व एवं
बालू घाट पर्यावरणीय लोक सुनवाई पदाधिकारी
इमामगंज, बाँकेबाजार (गया)

विषय :– इमामगंज, बाँकेबाजार अंचल अन्तर्गत प्रस्तावित बालू खनन से पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में ज्ञापन।

प्रसंग :– ज्ञापांक–2042 / खनन गया दिनांक–04 / 08 / 2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन प्रस्तावित बालू खनन घाटों के सम्बन्ध में कहना है कि इमामगंज–डुमरिया–बाँकेबाजार अंचलों से प्रवाहित मोरहर, सुरहर इत्यादि नदियों से बालू खनन से इस इलाके में जल, वायु, जीवन, हरियाली, भूगर्भ जल लेयर आदि की भयावह पर्यावरणीय क्षति हो रही है, जो क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं, इसलिए इन्हें निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि–

(1) विषयगत अंचलों से प्रवाहित सभी नदियाँ बरसाती एवं पहाड़ी हैं। इनमें बरसात के चार महिनों में ही अल्प मात्रा में बालू आती है, वह भी पानी के तेज प्रवाह के कारण कम ही निक्षेपित हो पाती है, जो स्थानीय उपयोग से अधिक नहीं है। निलामी से पर्यावरण को खतरा सम्भावित है।

(2) पिछले 6 वर्षों में यहाँ की नदियों से, बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 की अवहेलना कर (नियम–17 भिंगी बालू खनन, नियम–21 वन मंत्रालय भारत से पर्यावरणीय प्रमाण पत्र की अप्राप्ति, नियम–23 मशीनों का प्रयोग, नियम–24 प्रतिबंधित क्षेत्र से खनन, नियम–25 खनन पट्टा की अवहेलना, नियम–75 क्षमता से अधिक बालू खनन) (छाया–संलग्न)। बालू के नियम विरूद्ध उठाव को प्रशासन नियंत्रित करने में विफल रही है। फलतः इलाके के जल स्त्रोत कुआँ, तालाब, चापाकल, झिल–झरना, नदी, पईन, इत्यादि सभी क्रमशः सुख चुके हैं। भुगर्भ जल निम्नतम स्तर पर संकट में है, इन्हें बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए जल स्तर के रिचार्जिंग के प्रमुख स्त्रोत नदी की बालू की सुरक्षा आवश्यक है, तभी पर्यावरण की रक्षा हो सकती है।

(3) बिहार राज्य सरकार की टेलीमेट्री रिपोर्ट पेपर दिनांक–02.01.2020 के अनुसार 2.5 महिनों में 15 फुट ग्राउण्ड वाटर लेवल बाँकेबाजार सहित पूरे गया जिले में गिरावट दर्ज हुए थे। (पेपर कटिंग संलग्न)

ज्ञातव्य है कि धरती में बोरिंग धसाने के क्रम में जब बालू मिलती है तब मिस्त्री कहता है पानी मिल गया और वह पम्प चलाता है। इससे जाहिर है कि नदी की

बालू और धरती की बालू में निश्चय ही समन्वय है। नदी में जब बाढ़ आती है ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हो जाते हैं और बालू के ही थ्रु पानी कुआँ पोखर झिल–झरनों में ऊपर आ जाते हैं।

बालू के खनन से प्रकृति का चक्र बाधित हो जाती है। फलतः भीषण गर्मी अनियंत्रित बरसात कही बाढ़, कहीं सुखाड़ जल जीवन हरियाली इत्यादि की पर्यावरणीय प्रदुषण से सभ्यता दुष्प्रभावित हुई है।

(4) बालू की अनियंत्रित उठाव से नदी की गहराई पईन से ज्यादा नीचा हो गया है, फलतः इलाके के सिंचाई के प्रमुख साधन पईन निष्प्रभावी हो गए हैं, जिससे किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। यदि और बालू का उठाव हुआ तो किसान–मजदूरों का पलायन हो जाएगा, जो मानवीय दृष्टिकोण से चिंताजनक माना जाएगा।

(5) बालू की बिक्री के खिलाफ पिछले 6 वर्षों से जनसभा, रैली, सत्याग्रह, धरना, समझौता के माध्यम से ज्ञापन दिये जाने के बावजूद बालू का उठाव जारी रहा है। (ये छाया संलग्न), उपर से बालू की निलामी और प्रतिरोध पर अनेक प्राथमिकी (157/23, 158/23, 206/23, 208/23, 17/23) दर्ज कर जन चेतना को कुचलने की चेस्टा की गई है।

(6) इन सब के बाबजूद इमामगंज क्षेत्र की जनता बालू, पानी एवं पर्यावरण का बचाव करना चाहती है, क्योंकि बालू पानी पर्यावरण लोगों की जल जीवन हरियाली की संस्कृति से जुड़ा है। इनकी रक्षा करना जीवन की रक्षा करने के समान है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में विषयांकित प्रस्तावित बालू–खनन घाटों की निलामी के प्रस्ताव को निरस्त करने की दिशा में आचश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :–

(1) खनन नियमावली–2017– 2 पन्ना
(2) टेलीमेट्री रिपोर्ट न्यूज– 1 पन्ना
(3) सत्योग्रह पेपर कटिंग– 1 पन्ना
(4) समझौता पेपर कटिंग– 1 पन्ना
(5) शासन प्रशासन ज्ञापन– 2 पन्ना

भवदीय

प्रतिनिधि मंडल

बालू पानी पर्यावरण बचाव संघर्ष मोर्चा

इमामगंज–डुमरिया–बाँकेबाजार (गया)

दिनांक–12.08.2023 ई०

मो० नं०–6201453621

हस्ताक्षर

शिव शंकर सिंह 9931837924

विनिता कुमारी 8340474432

6200102549

साजिद अहमद 9572002333

स्मिता कुमारी 6203955983

अंचला कुमारी 8228375311

जाते हैं। ... वाटर
... गर्मी

मोहद् वार्ड सं० 23

सेवा में,

मानननीय जिला पदाधिकारी सह समाहर्ता महोदय

मुख्यालाय—गया।

द्वारा— अपर समाहर्ता (राजस्व) महोदय (गया)

विषय— इमामगंज वि0 सभा क्षेत्र अन्तर्गत मोरहर नदी से बालू की निलामी समाप्त करने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि गया जिला के इमामगंज वि0 सं0 क्षेत्र पिछड़ा है। उँची नीची जमीन एवं पथरीली भूमि है। पहाड़ियों एवं जंगलो से अच्छादित है। किसान मजदूर मेहनती है। सिंचाई के साधन का अभाव है। मोरहर नदी से निकली पईन एक मात्र सिंचाई के साधन है। कृषि के अलावे जीवन जीविका के लिए और कोई साधन नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए मोरहर नदी एवं सुरहर नदी जीवन दायिनी है। मोरहर नदी से पच्वास से भी अधिक पईने निकली है। जिससे लोखों एकड़ भूमि सिंचित होती है। बालू उठाव से सभी पईनें मृत हो जायेगी। जिससे उर्वर भूमि बंजर हो जायेगी। लौखों लोग काल के गाल में समा जायेंगे।

1 इमामगंज विधान सभा क्षेत्र के सभी छोटी—बड़ी नदियां पहाड़ी एवं बरसाती है। मोरहर नदी प्रतापपुर के कुन्दा राज (जंगल क्षेत्र) से निकलकर टिकारी (गया) में विलिन हो जाती है। इसकी लम्बाई 40—50 किलो0 है। नदी में बालू की अधिकता नहीं है। क्योंकि नदी बरसाती है। सोन, गंगा, घाघर, गंडक, कोसी एवं कमला बलान के जैसा अस्तित्व में नहीं है।

2 नदी के बालू में जल संग्रहण की क्षमता है। भू—गर्म जल का श्रोत एवं खजाना है। बालू के उठाव से भू—गर्म जल का श्रोत समाप्त हो गये हैं। फलतः कुँआ, आहर, पोखर, झील, झरना ई0 सभी सुख गये हैं। चापकल बोरिंग बेकार हो गये हैं इस कारण खेती पशु पक्षी एवं क्षेत्र की बड़ी आबादी के सामने जल संकट उत्पन्न हो गया है। इतना ही नहीं पेय जल का घोर संकट उत्पन्न हो गया है।

3 मोरहर नदी से जूरी गोईठा पईन पकरी गुरिया से निकलती है। जूरी, गोईठा, बलथरवा, भलुहार नावाडीह, बेचूबिगहा के 1760 एकड़ भूमि सिंचित होती है। मोरहर नदी से पकरी गाँव के सामने से बालू का बाँध लगाकर पानी लाया जाता है। बालू के उठाव से नदी, पईन से गहरी हो जायेगी जिससे पईन में पानी लाना असंभव हो जायेगा। सिंचाई के अभाव में 1760 एकड़ उर्वर भूमि वंजर हो जायेगी। हमसब छोटे—किसान हैं। किसान मजदूरों की जीविका समाप्त हो जायेगी। किसान मजदुर भुखे मर जायेंगे।

4 मोरहर नदी के कलस्टर सं0 29 एवं 30 भूतत्व के निदेशक मैयर इकबाल साहब के ज्ञापांक— 02 / एम. एम. वा0 34 / 22—912 / एम. (पटना), दिनांक— 18.02.2023 के आदेश के आलोकमें घाट सं0— 29 विशुन बिगहा एवं घाट सं0— 30 बलथरवा बालू उत्खनन पर जिलाअधिकारी, गया के अनुशंसा पर रोक लगा दिया गया था। उसे पुनः चालू कर जिला अधिकारी, गया को खनन विभाग अवहेलना कर दी है।

"आदेश की छाया प्रति संलग्न"

5 मोरहर नदी से जूरी, गोईठा, पईन सैफगंज, इटवां, दिघासीन, मुड़कट्टा, भगहर, रौंसा, बभण्डीह, चुआवार, बहेरा, गड़ेरिया, चपरी, गुदिया, बघौता, इत्यादी, पईन से लोखों एकड़ भूमि सिंचित होती है।

6 बांकेबाजार प्रखण्ड अन्तर्गत मोरहर नदी बालू खण्ड सं0 36 जूरी पननियां के बालू उठाव बन्दोवस्ती से सिंचाई हेतु पईने प्रभावित हों जायेगी। अतएव बालू बन्दोवस्ती सदा के लिए समाप्त की जाय।

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि उपर्युक्त सभी निवेदित बिन्दुओं पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान आकृष्ट करते हुए सिंचाई व्यवस्था, किसान मजदूरों के भूख और प्यास से बचाने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक — [illegible]

प्रतिनिधि मंडल

चन्द्रदेव प्रसाद सिंह
[illegible]
Ayub Ali (Kamar Khan)
[illegible]
[illegible]
इन्द्रदेव सिंह
[illegible] प्रसाद 'मेनन'
12.08.2023
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
राजद प्रखंड अध्यक्ष
[illegible]
HRDAY YADAV

ग्रामीण जनता

1 [illegible] प्रसाद, जूरी
2 [illegible] प्रसाद
3 प्रभावती देवी
4 Manoj Kr. Singh - Juri
5 Rocky Kumar Juri
6 Parkman Kumar Juri
7 Dipul Kumar Juri
8 [illegible]
9 [illegible] प्रसाद जूरी
10 मुन्ना रजक जूरी
11 सुरजन कुमार, जूरी
12 मिथलेश कुमार - [illegible]
13 परमा नन्द प्रसाद
14 Chandan Kumar, Juri

निरंजन कुमार
अशोक यादव (खरार)
कुमार भीम सुमन अनुसार रघुवि
दिनांक १२.९ (मनूरी खर्द)

अनोज कुमार - जूरी
16 Siddharth Kr. Juri
17 Anand Kr
18 Mukesh Kr Juri
19 सुरेश रजक जूरी
20 Sinnu verma जूरी
21 मुन्ना कुमार जूरी
22 कमलदेव प्रजापत ॥
23 शिवनन्दन ठाकुर ॥
24 विश्वनदेव प्रजापत
25 चन्देश्वर प्रजापति
26 गुड्डन मामकी
27 रामाश्रीय प्रसाद जूरी
28 ओम प्रकाश - वडकिदाह
29 लेलु मिस्त्री जूरी
30 जागन राम - यादव
31 मोहन प्रसाद ॥
32 वासुदेव प्रसाद ॥
33 कौशी रजक ॥
34 मुकुन्द ॥
35 शैलेश कुमार - जूरी
36 निरंजन प्रजापति - जूरि
37 मिलन कुमार
38 गौरव कुमार - जूरी
39 राजा ईश्वर प्रसाद जूरी
40 राजेश प्रसाद जूरी

41 नि० गोपाल प्रजापति जूरी

42 सुरजन कुमार जूरी.

43 Sachin Kumar Juri

44 प्रेमचन्द्र प्रसाद - जूरी

45 मानिक कुमार जूरी

46 बलदेव प्रसाद - जूरी

47 किशोरी प्रसाद जूरी

48 गोपाल प्रजापति जूरी

49 कपिल[illegible] प्रसाद "

50 नि० [illegible] राम [illegible] प्रजापति जूरी

51 Pankaj Kumar Verma.

52 satish Kumar

53 संजय कुमार

54 उदित कुमार

55 चन्द्रमन प्रसाद

56 सुनील कुमार जूरी

57 Pushp Raj (Juri

58 रघुनाथ प्रजापति

59 Vijay Singh

60 नि० [illegible] जूरी

61 रामसेवक प्रजापति "

62 जगनन्दन कुमार "

63 हरिओम कुमार "

64 धीरेन्द्र रजक जूरी
65 नरेन्द्र प्रसाद जूरी
66 सुदर्शन प्रसाद जूरी
67 फकीरा रजक जूरी
68 सुरेश कुमार जूरी
69 चन्द्रदिक पासवान
70 सुन्दरी प्रजापति
71 देवेन्द्र प्रसाद जूरी
72 प्रभात कुमारी जूरी
73 Amit kumar वार्ड सदस्य 12

74 Sanjay Kumar जूरी
75 जनकी प्रसाद जूरी
76 सरयू मिस्त्री जूरी
77 सम्भू प्रसाद जूरी
78 केदार राम - जूरी
79 अशोक प्रसाद, जूरी
80 बीरचंद प्रसाद, "
81 गणेश प्रसाद, जूरी
82 रामकेश्वर मिस्त्री
83 बलीराम पासवान जूरी
84 प्रेमानन्द प्रसाद, जूरी

85 रंजीत कुमार जुरई
86 धनंजय कुमार बेगुसराय
87 चंदन कुमार जुरई
88 मुकेश कुमार "
89 अवधेश कुमार सिंह "
90 धर्मेंद्र कुमार "
91 अमरेश कुमार "
92 सिकन्दर कुमार
93 शिवकुमारी देवी बेगुसराय "
94 प्रेम कुमार "
95 अवधेश कुमार "
96 अमरेश कुमार "
97 आलोक कुमार "
98 सिकन्दर सिंह "
99 रामजी प्रसाद "
100 दिनेश प्रसाद "
101 इन्द्रदेव सिंह "
102 गिरीश कुमार "
103 सुनील प्रसाद "
104 शशि कुमार "
105 अखिलेश प्रसाद "
106 बिपिन कुमार "
107 सुधीर कुमार "
108 लखन प्रसाद "
109 विनोद प्रसाद "
110 निरंजन कुमार "
111 सचिन कुमार "
112 Dhananjay "
113 [illegible] "
114 Satish Kumar "

117
118

उमेश सिंह अरू
116 अमर कुमार "
117 विनय सिंह "
118 Pritam Kumar "
119 ~~Kaal~~ "
120 ~~Babu~~ "
121 Ravi Kumar "
122 Rinky Prasad "
123 राजेन्द्र प्रसाद जरो
124 दिनेश यादव "
125 Kila "
126 Anil kr "
127 उपेन्द्र प्रसाद वेनुवाद
128 विन्ध्यवासिनी सिंह "
129 Pankaj kum "
130 अरविन्द यादव "
131 आनन्द कुमार "
132 Ramjeet Yadav "
133 Anirudd Paswan "
134 Anish kumar "
135 Chuki Yadav "
136 रामजी पासवान वेनुवाद
137 राकेश कुमार
138 चन्द्रदेव चौहान
139 Amit kumar.
140 Rupesh Kumar
141 Bablu kumar.
142 उपेन्द्र प्रसाद

143 रविन्द्र पासवान
144 रामनिवास प्रसाद
145 विरेन्द्र कुमार
146 शुभम कुमार
147 रोहित कुमार
148 आनन्द देव प्रसाद
149 कपिलदेव प्रसाद
150 विकास कुमार
151 नन्द किशोर प्रसाद
152 सुधीर कुमार
153 [illegible] कुमार
154 [illegible] प्रसाद
155 रुपेश कुमार
156 [illegible] प्रसाद
157 रवि रंजन
158 भोलू कुमार
159 महेश चौहान
160 Bimal [illegible]
161 [illegible] पासवान
162 [illegible]
163 शिवनारायण यादव
164 रामबली पासवान
165 [illegible]
166 [illegible] कुमार
167 Sachin kumar
168 [illegible]
169 [illegible]
170 अमरेन्द्र [illegible]
171
172

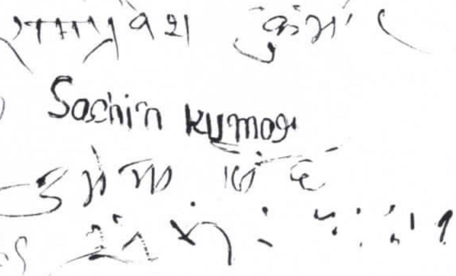

वर्षा पासवान
[illegible] मांझी

173 नागेश्वर रजक राजी
174 शालदेव रजक "
175 प्रमोद कुमार "
176 सोमी (thumb impression) "
177 (thumb impression) "
178 अवधेश पासवान
179 शालिग्राम रजक, राजी
180 दीहन कुमार "
181 सुरेन्द्र प्रसाद "
182 गंगी प्रजापति राजी
183 (thumb impression)
184 विशाल पासवान राजी
185 मुकेश रजक "
186 विनय कुमार "
187 रमेश प्रसाद "
188 निर्मलेश रजक "
189 Satish Kumar "
190 अर्जुन मांझी राजी
191 Ritika Kr. "
192 नेहा कुमारी "